न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के. जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3569-दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-09-2016 पारित द्वारा तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर प्रकरण क्रमांक 170/अ-74/2015-16

अब्दुल मुईद पुत्र स्व. श्री अब्दुल समद मुसलमान
निवासी लहसुई वार्ड नं. 1 कोतमा रेलवे फाटख के
के पास कोतमा जिला अनूपपुर म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला अनूपपुर म.प्र. .....अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए.के. निरंकारी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर द्वारा पारित दिनांक 06-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लहसुई जिला अनूपपुर के सभी ग्रामवासियों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोतमा, जिला अनूपपुर के समक्ष तालाब तोडे जाने का शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी व दूसरी प्रतिलिपि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दी गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05-09-2016 को तहसीलदार को पत्र क्रमांक 1320/अनु.अधि./2016 भेज कर निर्देशित किया कि

3.7.18

तहसीलदार मौका जांच कर आवश्यक कार्यवाही करे, एवं की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन से अवगत कराये । तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के पत्र के पालन में प्रकरण क्रमांक 170/अ-74/2015-16 दर्ज कर कार्यवाही प्रांरभ की गई । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 06-09-2016 को म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 251 में निहित प्रावधान के तहत आदेश पारित कर तालाब के भीठा का तोडने का कार्य को तत्काल बंद कर दिनांक 24-09-2016 को न्यायालय में पेश होकर जबाव पेश करने के निर्देश के साथ स्थगन दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, मात्र तहसीलदार ने नोटिस देकर जवाब पेश करने हेतु 24-09-2016 नियत की है । अत: अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अत: यह निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये ।

(आर.के. जैन) 3/7/18
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर